

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 861 / 2010 / सवाईमाधोपुर.

मैसर्स माँ श्री अम्बिका स्टोन क्रेशर्स कम्पनी,
रवाजना डूंगर, सवाईमाधोपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री सी. बी. अग्रवाल, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

उप-राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 22 / 4 / 2014

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे 'प्रशासनिक अधिकारी' कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या उपा/प्रशा/भरत/08/2479 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.3.2009 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रशासनिक अधिकारी ने उक्त आदेश से प्रत्यर्थी द्वारा खादी एवं विलेज इण्डस्ट्रीज (जिसे आगे 'KVIC' कहा जायेगा) के तहत पंजीकृत इकाई को छूट स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दिनांक 17.12.2008 को अस्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(63)वित्त/कर/2005-67 दिनांक 5.7.2006 के तहत आवेदन करते हुए KVIC के अन्तर्गत पंजीकृत इकाई को कर में छूट स्वीकृत कराने के लिये वर्ष 2006-07 व 2007-08 के लिये अधिकारिता प्रमाण—पत्र जारी करने की प्रार्थना प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष की। प्रशासनिक अधिकारी ने माना कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 27.3.95 के तहत जो Sand Stone इकाई दिनांक 31.3.2006 तक लाभ ले रही थी, लेकिन इसमें भी वे इकाईयां ही शामिल हो सकती थी, जो वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 21.5.2003 तक प्रारम्भ कर चुकी थी, क्योंकि Sand Stone उद्योग को राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(11)टैक्स-डिवी./2000-44 दिनांक 22.5.2003 से वंचित कर दिया था। इसलिए अपीलार्थी का प्रार्थना—पत्र अस्वीकार करने के उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि इकाई चेजापत्थर (मेसनरी स्टोन) से क्रेशर द्वारा विनिर्माण कार्य करती है। अपीलार्थी ने करमुकित हेतु आवेदन में भूलवश अधिसूचना दिनांक 5.7.2006 का अंकन किया है। वास्तव में इस अधिसूचना में वर्णित किसी वस्तु का इकाई निर्माण नहीं करती है। इकाई द्वारा अधिसूचना संख्या 142 दिनांक 9.3.2007 के तहत आवेदन किया गया है। उनका कथन है कि इस अधिसूचना में संशोधन दिनांक 3.11.2007 अनुसार यदि प्रतिबंधित इकाईयां भी 1.4.2006 से पूर्व लाभ ले रही थी, उनको भी KVIC के अनुशंशा के आधार पर करमुकित की पात्र घोषित किया है। इस अधिसूचना के तहत मुकित प्रमाण-पत्र उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर द्वारा जारी किया जाना विहित नहीं है। फिर भी KVIC द्वारा प्रकरण प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत कर विधिक भूल की है। प्रशासनिक अधिकारी ने स्वयं का क्षेत्राधिकार नहीं होते हुए भी प्रकरण को खारिज कर आदेश पारित किया है।

यह भी कथन किया कि अधिसूचना दिनांक 9.3.2007 में Sand Stone के विषय में विवाद है, लेकिन अपीलार्थी ने चेजापत्थर (Masonry stone) का क्रिंशिंग किया है। तर्क के समर्थन में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संख्या 3404 दिनांक 29.9.2007 जिसमें स्टोन ग्रिट निर्माण अंकित है, खनि अभियन्ता के कार्यालय आदेश दिनांक 22.10.2001 जिसमें मेसनरी स्टोन के लिये 20 वर्ष के लिये पट्टा जारी करना बताया है। खनि अभियन्ता सवाईमाधोपुर के ही विज्ञाप्ति दिनांक 6.10.98 में भी खनिज का नाम चेजापत्थर अंकित होने सम्बन्धी सबूत पेश किये हैं।

यह भी कथन किया कि अपीलार्थी का पिछले वर्षों में भी KVIC द्वारा जारी अनुशंशा पत्र के आधार पर ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करमुकित विक्रय स्वीकार किया गया है।

उक्त आधारों पर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने प्रशासनिक अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं विविध अधिसूचनाओं का गहनता से अध्ययन किया गया। अपीलार्थी को जारी लीजडीड, खनि अभियन्ता के कार्यालय आदेशों आदि अनुसार चेजा पत्थर की खान आवंटित की गई है, जो कि सामान्य भाषा में Masonery Stone कहा जाता है। अपीलार्थी द्वारा Masonery Stone से गिट्टी निर्माण कर विक्रय किया गया है।

लगातार.....3

अपीलार्थी द्वारा, जहां तक अधिसूचना दिनांक 5.7.2006 का अंकन किया गया है, इस अधिसूचना में वर्णित वस्तुओं का व्यवहार नहीं किया जाता है। ईकाई पर करमुक्ति हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 142 दिनांक 9.3.2007 प्रभावी है, जो इस प्रकार है :—

F.12(28)FD/Tax/2007/142 Dated : 09.03.2007

"In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Rajasthan Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax the sales of the products excluding soap, bricks, Kota-stone, marble and sand stone, manufactured by an institution, co-operative societies and individuals registered under the said Act and also with the Khadi & Village Industries Commission constituted under the Khadi & Village Industries Commission Act, 1956 or the Rajasthan Khadi & Village Industries Board constituted under the Rajasthan Khadi & Village Industries Board Act, 1955 and in whose favour certificate had been issued before April 1, 2006, by the authorities competent to do so on the following conditions :-


- (1) that such exemption shall be available only on their annual gross turnover (excluding turnover of the goods mentioned above) of rupees thirty lacs for individuals also and rupees one crores for others. Where the annual turnover exceeds these limits, tax shall be levied on the turnover in excess of such limits;
- (2) that no input tax credit shall be claimed by such dealers in respect of purchase of raw materials used for manufacture of goods exempted above;
- (3) that tax collected by the dealer up to the publication of this notification shall have to be deposited and if deposited, shall not be refunded.


This notification shall be deemed to have come into force with effect from April 1, 2006.

प्रशासनिक अधिकारी ने Sand Stone के आधार पर अपीलार्थी को उक्त अधिसूचना के तहत लाभ का पात्र नहीं माना है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः प्रकरण प्रशासनिक अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस अधिनियम के तहत प्रकरण पर पूर्ण विचार कर अपीलार्थी को अधिकारिता प्रमाण-पत्र जारी करें।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण उक्त निर्देश के साथ प्रशासनिक अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)


सदस्य
पृष्ठ 4

22